27.01.2025 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी संख्या 10,11,12 का जवाब अप्राप्त।
पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद
जवाब पेश पेश नहीं करने पर प्रार्थी संख्या
10,11,12 का जवाब बन्द किया जाता है और
प्रार्थीगण रजिस्टरी तामिली के उपरान्त भी
अनुपस्थित। अतः प्रार्थीगण संख्या 01 से 09,
13 से 17 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल
में लाई जाकर उपस्थित अधिवक्तागण की

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

में जारी हुए।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्ष प्रथम सेटलमेन्ट हम प्रार्थीगण के एक दादा उमा पुत्र बेलरा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। जिनके फौत होने पर उनके वारिसान रेगा, नानजी पिसरान उमा के नाम उक्त आराजी का नामान्तरकरण भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी में प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 10 से 12 को 1/2 हिस्सा भूमि पर कदीमी पीढ़ीयों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता रेगा पुत्र उमा कर्ता खातेदार होने थे तथा अन्धे एवं अनपढ व्यक्ति थे। उनकी संयुक्त पैतृक आराजी हड़पने की नियत से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 9 ने एक नानजी पुत्र उमा से मिलावट कर एक विधि विरुद्ध बेचान दस्तावेज तैयार करवाया तथा दिनांक 02.08.1996 को उप पंजीयक सांचोर में ले जाकर फर्जी खराबे की भूमि का कहकर उक्त भूमि खेत खसरा नम्बर 696 रकबा 30 बीघा 19 बीस्वा में से उनके 1/2 हिस्से की आराजी में से 1/3 हिस्सा की आराजी यानि 10 बीघा 6 बिस्वा के बेचान दस्तावेज पर उनका पंजियन हस्ताक्षर करवा लिये तथा इस प्रकार अपने हिस्से की भी करवा दिया। [illegible] आराजी का बेचान करने का [illegible] हुए भी हमारे [illegible] अन्धेपन का तथा [illegible] उठाकर उक्त अवैध बेचान दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में
	पर हस्ताक्षर करवा कर लिये चूंकि उनके हिस्से की भूमि पर लगातार कब्जा काश्त शुदा आया होने से प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से तथा काश्तशुदा भूमि के हिस्से पर खातेदारी घोषणा करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण वर्तमान में अवैध बेचान इकरार की फिराक में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को आगे से आगे बेचान, हस्तांतरण करने पर आमादा है अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो इन प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे। प्रकरण में अप्रार्थी 10 से 12 के वकील ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। मैंने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अवैध बेचान करने का कथन किया गया है, उक्त सम्बन्ध में कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत पेश नहीं किया गया है, तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता उक्त दावा पत्र का मूल वाद खातेदारी घोषणा का [illegible] किया है जिसका गुणावगुण पर निर्णय किया जाना [illegible] इस स्तर पर मामला [illegible] ने प्रार्थित [illegible] का प्रार्थना पत्र अस्वीकार। खारिज किया [illegible] पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम की [illegible] स्टार हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner